HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 10725/2026
URN: CRLMB / 19891U / 2026

Aziz S/o Sallam, R/o Village Nandera, Police Station Kaman, District Deeg. (At Present Confined In District Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Liyakat Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

14/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह **द्वितीय** प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **कामां जिला डीग़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **467/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **303(2) भारतीय न्याय संहिता** में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी की जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.04.2026 को निरस्त होने के पश्चात् प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन साक्षीगण परीक्षित हो चुके हैं, जिनमें स्वयं परिवादी भी है। उनका यह भी तर्क है कि परिवादी रामदयाल ने अपने कथन में स्पष्टतः यह कहा है कि उसने प्रार्थी/अभियुक्त अजीज का नाम गांव वालों के कहने से लिया था और अजीज ने उसकी गायें एवं बछड़ों को चुराया नहीं था, न ही वध किया। साक्षी करन सिंह पी0ड03 ने भी स्पष्टतः प्रतिपरीक्षा में स्वीकार कर लिया है कि प्रार्थी अजीज का नाम अपने पुलिस बयान में गांव वालों के कहने से ही लिया था। उसने गांव वालों के गायें एवं बछड़े नहीं चुराए, न ही उनका वध किया। गौवंश के किसी प्रकार के कोई

अवशेष प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद नहीं हुए हैं एवं गवाह भरत सिंह पी0ड01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य भी कहा है कि गायों के अवशेषों की बरामदगी नहीं हुई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से अभिरक्षा में है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। पूर्व का इस प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा **303(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 3/8 आरबीए एक्ट** के अपराधों का अभियोग है। प्रकरण में अभी कई साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना शेष है। गम्भीर अपराध है, अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.04.2026 को निरस्त होने के पश्चात् अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी/परिवादी रामदयाल ने बताया है कि उसने प्रार्थी/अभियुक्त अजीज का नाम गांव वालों के कहने से लिया था और अजीज ने उसकी गायें एवं बछड़ों को चुराया नहीं था, न ही वध किया। अन्य साक्षी करन सिंह पी0ड03 ने भी यही कथन किया है कि प्रार्थी अजीज का नाम गांव वालों के कहने से ही लिया था। उसने गांव वालों के गायें एवं बछड़े नहीं चुराए, न ही उनका वध किया। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा भरतसिंह साक्षी ने भी यही कथन किए हैं कि प्रार्थी से गायों के किसी प्रकार के कोई अवशेष बरामद नहीं हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से अभिरक्षा में है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अजीज पुत्र सल्लम** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय

में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां** प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

3/AJAY KUMAR SINGHAL/712